



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-16.10.2025

विषय:- दुष्कर्म व डी0पी0 एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त राकेश रौशन को थाना मण्डुआडीह पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के नेतृत्व में थाना मण्डुआडीह पुलिस टीम द्वारा “मिशन शक्ति अभियान-5.0” के तहत मु0अ0सं0-256/2025 धारा 85/115(2)/352/351(3)/64 बी0एन0एस0 व 3/4 डीपी एक्ट थाना मण्डुआडीह कमिश्नरेट वाराणसी से सम्बन्धित नामजद वांछित अभियुक्त 1. राकेश रौशन उर्फ मनीष पुत्र सुनील प्रसाद निवासी ग्राम मिरबीघा थाना वारिसलीगंज जनपद नवादा बिहार को आज दिनांक 16.10.2025 को समय करीब 14.30 बजे पूछताछ के दौरान थाना मण्डुआडीह कमिश्नरेट वाराणसी के परिसर से गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना मण्डुआडीह पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 04.09.2025 को वादिनी/पीड़िता ने प्रतिवादीगण द्वारा वादिनी को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने, गाली-गलौज व मारने पीटने एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना मण्डुआडीह में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 नेहा प्रवीन द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- राकेश रौशन उर्फ मनीष पुत्र सुनील प्रसाद निवासी ग्राम मिरबीघा थाना वारिसलीगंज जनपद नवादा बिहार, उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान-

दिनांक 16.10.2025 को समय 14.30 बजे, थाना मण्डुआडीह कमिश्नरेट वाराणसी के परिसर से।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-256/2025 धारा 85/115(2)/352/351(3)/64 बी0एन0एस0 व 3/4 डीपी एक्ट थाना मण्डुआडीह कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.म0उ0नि0 नेहा परवीन थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी ।



सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी